

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—26 / 2008
 संस्थित दिनांक—17.01.2008
 फाईलिंग क.234503000672008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा बफरजोन
 कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

मंगल उर्फ चर्चा वल्द टिरू, जाति गोंड, उम्र—60 वर्ष,
 निवासी—ग्राम रजमा, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—16 / 10 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—2, 9, 39, 50, सहपठित धारा—51 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—03.01.2008 को ग्राम रजमा, वन परिक्षेत्र खापा बफरजोन, वन मण्डल कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला में अपने घर में बिना अनुज्ञप्ति के एक नग मोर का पैर, दो नग सांभर के सींग, एक नग भाला, दो चटका फंदा एवं गुलेल रखा पाया तथा उक्त चटका फंदा से पूर्व में 6—7 खरगोश का शिकार किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—03.01.2008 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर वन अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा सर्च वारंट क्रमांक—48 / 24, दिनांक—02.01.2008 के अनुसार ग्राम रजमा का आरोपी मंगल उर्फ चर्चा के घर की तलाशी लिए जाने पर उसके घर से एक मोर का पैर, दो नग सांभर के सींग, एक नग भाला, दो चटका फंदा शेर, पैंथर फंसाने का तथा गुलेल आदि जप्त किया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि पूर्व में उसके द्वारा 6—7 खरगोश फंदे से शिकार कर खाया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा बफर जोन द्वारा आरोपी

मंगलसिंह उर्फ चर्चा के विरुद्ध पी.ओ.आर.कमांक-34/25, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-2, 9, 39, 50, 51 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2, 9, 39, 50, सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-03.01.2008 को ग्राम रजमा, वन परिक्षेत्र खापा बफरजोन, वन मण्डल कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला में अपने घर में बिना अनुज्ञप्ति के एक नग मोर का पैर, दो नग सांभर के सींग, एक नग भाला, दो चटका फंदा एवं गुलेल रखा पाया तथा उक्त चटका फंदा से पूर्व में 6-7 खरगोश का शिकार किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— परिक्षेत्र अधिकारी उमराव उइके (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उसने दिनांक-03.01.2008 को खापा में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ होते हुए आरोपी के विरुद्ध विवेचना उपरान्त परिवाद पत्र पेश किया था। साक्षी ने विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार सभी दस्तावेजी कार्यवाही के सत्यापन कर उस पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रकरण में चिकित्सीय प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण पेश नहीं किया गया है। उसके द्वारा प्रकरण में विवेचना नहीं की गई है। इस प्रकार साक्षी ने मात्र परिवाद पेश करने और दस्तावेजी साक्ष्य का सत्यापन किये जाने की पुष्टि की है।

6— जप्ती अधिकारी आर.आर. झारिया (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक-03.01.2008 को करेली वृत्त परिक्षेत्र खापा में परिक्षेत्र सहायक के पद पर होते हुए अपने स्टॉफ के साथ ग्राम रजमा स्थित आरोपी के घर

सर्च वारंट लेकर गया था। उसने मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर आरोपी के घर पर तलाशी पंचनामा बनाकर तलाशी लेने पर उसके घर से फंदा मिला था, जिससे शेर, पैंथर आदि फंसाए जाते हैं, इसके अलावा उसे एक भाला, छुरी तथा चीतल का सींग भी मिले थे। उक्त सामान आरोपी ने स्वयं का होना बताया था। उसने पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसमें उसके व आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी के विरुद्ध उसके अधीनस्थ कर्मचारी जयप्रकाश मेड़ावी ने पी.ओ. आर. काटा था। उसने आरोपी के बयान प्रदर्श पी-6 उसके बताए अनुसार लेख किया था। वनपाल के.पी. हटीले ने अपना बयान प्रदर्श पी-7 लिखकर दिया था। नजरीनक्शा प्रदर्श पी-10 तैयार कर साक्षी ओमप्रकाश का बयान प्रदर्श पी-8 व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना पूर्ण कर दस्तावेज जांच हेतु परिक्षेत्र अधिकारी को सौंपा था।

7— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी के घर की तलाशी के पूर्व उनकी स्वयं की तलाशी का कोई पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कथित चीतल के सींग का उल्लेख प्रकरण में किये जाने के संबंध में चुनौती दिए जाने पर साक्षी ने चीतल का सींग का उल्लेखित करना स्वीकार किया है, जबकि परिवाद पत्र, जप्तीपंचनामा व साक्षीगण के कथन में आरोपी ने कथित चीतल के सींग जप्त होने का उल्लेख नहीं है। अभियोजन का मामला आरोपी से कथित सांभर के सींग की जप्ती का है, जिससे हटकर उक्त साक्षी ने जप्ती अधिकारी के रूप में कथित चीतल के सींग की जप्ती होना बताया है। ऐसी दशा में आरोपी से की गई कथित जप्तशुदा वन्य प्राणी के ट्रॉफी सींग के संबंध में विरोधाभासी कथन किये जाने से साक्षी की जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है।

8— जप्ती अधिकारी आर.आर. झारिया (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि कथित जप्तशुदा सामग्री आरोपी से किन गवाहों के समक्ष जप्त किया था। यद्यपि जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 में जप्ती के साक्षी जीतूलाल व रतिराम का नाम उल्लेखित है। उक्त साक्षी में से झीठूलाल (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके सामने आरोपी के घर की तलाशी नहीं ली गई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी के घर से सींग जप्त किये थे या नहीं वह नहीं बता सकता। साक्षी ने

प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके साले जयप्रकाश, जो कि वनरक्षक है, ने बताया था कि सामान जप्त किये हैं और उसने अपने साले पर विश्वास कर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था। उसके सामने आरोपी के घर से कोई सामान जप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कथित जप्ती कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— साक्षी ओमप्रकाश (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि जप्ती कार्यवाही के दौरान आरोपी के घर से फंदा, एक बरछी, घातक गोले, चिडीमार फंदे, मोर के पंजे, जहर की शीशी और अन्य जानवर के फंदे मिले थे। उसके सामने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने जिस पंचनामा प्रदर्श पी-1 को जप्तीपंचनामा के अनुसार कथित सामान जप्त होना बताया है। वह मात्र कथित जप्ती कार्यवाही की लिखापट्टी के पश्चात तैयार पंचनामा है, जिसे साक्षी जप्तीपंचनामा बता रहा है। वास्तव में जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 का उक्त साक्षी पंच नहीं रहा है। वैसे भी उक्त साक्षी के द्वारा वन विभाग का कर्मचारी होते हुए उसके वरिष्ठ अधिकारी जप्ती अधिकारी की पश्चातवर्ती कार्यवाही का समर्थन करते हुए कथन किये गए हैं। इस साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य में कथित वन्य प्राणी चीतल या सांभर के सींग की जप्ती होना नहीं बताया है।

10— मामलों में पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-9 जारी करने वाले वन रक्षक जयप्रकाश मड़ावी (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक-03.01.2008 को आरोपी के घर से तलाशी लेने पर जप्तशुदा फंदा सींग, भाला तथा चिडिया, मोर, बगुला का पंजा की जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा संपत्ति की सूची प्रदर्श पी-5 पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-9 काटा था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने मात्र पी.ओ.आर जारी करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। साक्षी के द्वारा अपने कथन में यह नहीं बताया गया कि वह आरोपी के घर किस अधिकारी के साथ गया था। इस साक्षी के जप्तीपंचनामा पर भी पंच के रूप में हस्ताक्षर नहीं है। अतएव इस साक्षी के कथित जप्ती के संबंध में पंच साक्षी के रूप में किये गए कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

11— ए.के. गुप्ता (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि आरोपी ने उसके सामने बयान प्रदर्श पी-6 दिया था, जिसमें उसने 6-7 खरगोश पकाकर मांस खाना और जंगली जानवर के लिए फंदा लगाना बताया था। उक्त बयान पर उसके व आरोपी मंगल के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उक्त बयान परिक्षेत्र सहायक की हस्तलिपि में है तथा उसने एक माह बाद उक्त बयान को सत्यापित किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी का बयान सत्यापित किये जाने की पुष्टि मात्र की है। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि उसके समक्ष आरोपी ने बयान दिया था, तो उसी समय उसके द्वारा सत्यापित किया गया होता। इस प्रकार साक्षी के समक्ष बयान दर्ज न होने के बावजूद भी आरोपी द्वारा उसके समक्ष बयान देने के संबंध में किये गए कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

12— जप्ती अधिकारी आर.आर. झारिया (अ.सा.6) ने अभियोजन मामलों के विपरीत कथित चीतल का सींग आरोपी से बरामद किये जाने का कथन किया है, जबकि अभियोजन का मामला अन्य सामान के साथ सांभर के दो सींग बरामदगी का है। इस प्रकार जप्ती कार्यवाही के दौरान उक्त महत्वपूर्ण तथ्य कथित सींग किस वन्य प्राणी के हैं, इसके संबंध में विरोधाभासी तथ्य प्रकट होते हैं और कथित सींग की बरामदगी के संबंध में की गई जप्ती कार्यवाही भी संदेहास्पद प्रकट होती है। इसके अलावा मामलों में कार्यवाही किये जाने के पूर्व आरोपी के विरुद्ध सर्च वारंट भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। जप्ती अधिकारी के अनुसार कथित सर्च वारंट प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की गई है, किन्तु उक्त सर्च वारंट पेश न होने से कार्यवाही किये जाने का आधार संदेहास्पद प्रकट होता है। साथ ही सर्च वारंट का दस्तावेज परिवाद के साथ पेश न किये जाने का कोई कारण व स्पष्टीकरण न दिए जाने से प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है कि कार्यवाही के पूर्व ऐसा कोई वारंट प्राप्त नहीं किया गया और उसके संबंध में असत्य कथन किये गए हैं।

13— जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी झीठूलाल (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है, बल्कि प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि उसके साले जयप्रकाश अर्थात् पी.ओ.आर. जारी करने वाले वनरक्षक के कहने पर उसने उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उक्त दस्तावेज पंचनामा प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती के पंच के रूप में उक्त

साक्षी से पश्चात् में हस्ताक्षर करवाएं गए हैं। जप्ती कार्यवाही का उसके पंच साक्षी के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर होना बताया है, किन्तु उसके सामने कथित तलाशी लिये जाने का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार प्रकरण में आरोपी से कथित जप्ती पंचनामा व तलाशी पंचनामा की कार्यवाही का पंच साक्षी के समर्थन के अभाव में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही साक्ष्य में संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

14— प्रकरण में आरोपी से की गई कथित जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित न होने से आरोपी के विरुद्ध कथित वन्य प्राणी के शिकार किये जाने या उक्त शासकीय संपत्ति उसकी अभिरक्षा में होना संदेहास्पद प्रकट होता है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम की धारा-57 के अंतर्गत यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपी ने कथित वन्य प्राणी के अवयव या सींग अवैध रूप से आधिपत्य में रखे हुए थे और उसका खण्डन करने का भार आरोपी पर है। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती अधिकारी आर.आर. झारिया (अ.सा.6) के न्यायालयीन कथन में कथित जप्तशुदा सींग के संबंध में वन्य प्राणी सांभर के सींग के स्थान पर चीतल के सींग बताया जाना और जप्तशुदा वन्य सामग्री का विशेषज्ञ से परीक्षण कराकर रिपोर्ट पेश न किया जाना भी अभियोजन मामलों में संदेहास्पद तथ्य प्रकट होता है, जिसे अभियोजन ने साक्ष्य में दूर नहीं किया है।

15— आरोपी के द्वारा की गई उक्त अपराध की कथित संस्वीकृति संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि आरोपी मंगल के द्वारा कथित अपराध किये जाने और उसके आधिपत्य में वन्य प्राणी के अवयव व फंदा आदि जप्त होना स्वीकार किया गया है, तो भी अन्य संपुष्टि कारक साक्ष्य एवं जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित न होने से कथित स्वीकारोक्ति का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। आरोपी के किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकार किये जाते हुए नहीं देखा गया है। आरोपी से कथित जप्ती भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है तथा आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही के पूर्व कोई सर्व वारंट प्राप्त किया जाना भी प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में मात्र अपुष्ट स्वीकारोक्ति के आधार पर तथा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

16— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी के विरुद्ध अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2, 9, 39, 50, सहपठित धारा-51 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18— मामले में आरोपी दिनांक-03.01.2008 से 17.01.2008 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वन्य प्राणी सांभर के सींग, मोर के पैर, बगला के पैर अपील अवधि पश्चात् वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा बफर जोन, जिला बालाघाट को विधिवत् नष्ट किये जाने हेतु सुपुर्द किया जावे। शेष जप्तशुदा चटका फंदा दो नग, भाला एक नग, तार फंदा एक्सीलेटर वायर का आठ नग, चिड़िया मार फंदा 28 काड़ी, आरा दो नग, कानस एक नग, गुलेल एक नग, चूहा मारने का धारयुक्त राड एक नग, मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट